

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का )

आदेश फलक

47  
1344

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक

तारीख 4/4/13 से 18/4/13 तक

जिला पटना अनुमण्डल:- बाढ़, अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार  
कारण- 2 प्रारंभिक एवं वर्ष 2012-13

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
4-4-13	<p>श्री/श्रीमति मिश्रिलाल देव सर (पति)</p> <p>पिता/प्रति 210 सुपलाल शर्मा ग्राम महोडा, 215123</p> <p>थाना धुशौर जिला पटना अंचल, बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/वखशीशनामा बँटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक 8-4-13 को उपस्थापित करे।</p> <p style="text-align: center;"><u>जमीन का विवरण</u></p> <p>ग्राम/थानानं० 918/3 खाता नं० 72</p> <p>खेसरा 54 92</p> <p>रकबा 3.125 B.</p> <p style="text-align: right;">4/4/13 अंचल अधिकारी बाढ़</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

8-4-13

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र/दानपत्र/वख्शीसनामा  
बँटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः  
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु क्रेता,विक्रेता एवं आम  
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15-4-13  
को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

15-4-13

तामिला के उपरान्त किसी भी ब्यक्ति के द्वारा

काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 16-4-13  
को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

16-4-13

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर  
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की  
दी जाती हैं।

शुद्धि पत्र निर्गत करे।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

अंचल अधिकारी  
बाढ़